"बिजनैस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2003—भाद्र 21, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2003

क्रमांक 1622/2003/1-8/स्था.—श्री एन. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 1-8-2003 से 4-8-2003 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. साकी, को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. साकी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक 755/2003/1-8/स्था.—डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 10-2-2003 से 27-2-2003 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अखिलेश कुमार सिंह को अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अखिलेश कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक 759/2003/1-8/स्था.—श्री ब्रजेश चन्द्र मिश्रा, उप-सचिव, गृह विभाग को दिनांक 18-8-2003 से 23-8-2003 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 24-8-2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा को उप-सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ब्रजेश चन्द्र मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2003

क्रमांक 791/2003/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 11-8-2003 से 14-8-2003 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 15, 16 एवं 17 अगस्त 2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2003

क्रमांक एफ. ए. 4-22/2002/1/एक.—श्री पी. सी. नायक, मान. न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 26-6-2003 से 5-7-2003 तक 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्तों सहित कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक 1863/1537/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री दुर्गेशचंद्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर को दिनांक 8-8-2003 से 22-8-2003 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा पुन: संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक 1865/1543/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री एस. व्ही. प्रभात, भा. प्र. से. को दिनांक 18-8-2003 से 18-11-2003 तक (3 माह) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 15, 16 एवं 17-8-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री प्रभात को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्रमांक 1753/841/आ. पर्या./32/03.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 941/841/आ. पर्या./32 दिनांक 16-6-2003 द्वारा विकास योजना भिलाई-दुर्ग (दुर्ग भाग-दो), 2001 में उपांतरण प्रस्तावित किये गये थे, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. प्रकाशित सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए.

अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा दुर्ग के ख. क्र. 986/1 का भाग रकबा 0.412 हेक्टेयर तथा ख. क्र. 984 का भाग रकबा 1.107 हेक्टेयर कुल रकबा 1.519 हेक्टेयर को सूचना में किए गए उल्लेख अनुसार भिलाई-दुर्ग विकास योजना (दुर्ग भाग-दो), 2001 में निर्धारित भू-उपयोग आवासीय से आमोद-प्रमोद (मिनी स्टेडियम) में उपांतरण करने की पुष्टि करती है तथा सूचित करती है कि यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग (दुर्ग भाग-दो) विकास योजना, 2001 का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी/9058/21-ब/छ. ग./02.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नोटरी अधिनियम के अंतर्गत राज्य के लिए निर्धारित की गई संख्या को देखते हुये अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को नोटरी बनने का अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अंतर्गत प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निश्चित नीति निर्धारित की जाती है कि किसी भी नोटरी का प्रमाणपत्र केवल प्रथम बार ही नवीनीकृत होगा उसके पश्चात् नहीं लेकिन इस आदेश के जारी होने के पूर्व जो नवीनीकरण हो चुके हैं वे यथावत् रहेंगे.

उक्त आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2003 से तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2003

पत्र क्र. 5341/1912/21-ब (छ. ग.) 2003/एट्रोसिटी.—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट न्यायालय, सरगुजा अंबिकापुर के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री जे. पी श्रीवास्तव, विशेष न्यायालय सरगुजा अंबिकापुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति दिनांक 29-2-2004 तक की कालावधि के लिये सरगुजा अंबिकापुर जिले हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है तथा किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-23-7/97/25/4, दिनांक 27-3-97 के अनुसार राज्य के लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक को विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र. 17 (ई) 69/95/21-ब (दो) दिनांक 6-7-96 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण-01 अनुजातियों कल्याण 800 अन्य व्यय 9703 केन्द्र प्रवर्तित [illegible] विशेष घटक योजना 5171 विशेष न्यायालयों की [illegible] प्रकार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2003

क्रमांक 4931/डी.15/169/2003/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्राम पिरदा, तहसील महासमुंद, जिला महासमुंद में स्थित मण्डी क्षेत्र में की गई कोई संरचना, आहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सहित खसरा नंबर 347 एवं 366 की 5.06 हेक्टेयर भूमि को उपमण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन अधिसूचना पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है.

उपमण्डी प्रांगण की सीमा :

(1)	उत्तर में	-	कच्ची सड़क
(2)	दक्षिण में	-	खेत
(3)	पूर्व में	-	डब्ल्यू.बी.एम. रोड
(4)	पश्चिम में	-	खेत

Raipur, the 29th August 2003

No. 4931/D. 15/169/2003/14-3.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declare 5.06 hectare land of khasra No. 347 and 366 in village Pirda, Tahsil Mahasamund, District Mahasamund including any structure, enclosure open place or locality in market area as a sub market yard. The Notification under Section 3 and 4 of the said Act has been previously published.

BOUNDARY OF SUB MARKET YARD :

[illegible]	North		Ka[illegible]d
2.	On the South	-	Field
3.	On the East	-	WBM Road
4.	On the West	-	Field.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उजागर सिंग, सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्रमांक 4120/924/जसंवि/2003.—श्री एच. व्ही. राठोड़, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर के दिनांक 31 अगस्त 2003 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री एन. एस. भदौरिया, मुख्य अभियता (सिविल) हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर को स्थानापन्न प्रमुख अभियंता के पद पर वेतनमान रुपये1 18400-500-22400 में पदोन्नत करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 3-89/दो-गृह/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्र को प्रस्तावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करता है :—

1. नीचे दी गई सारणी के कालम नं. (2) में वांछित पुलिस थानों को उक्त सारणी के कालम नं. (4) की तत्संबंध प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्र को अपवर्जित करता है.

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कालमं नं. (4) में उल्लेखित किया गया स्थानीय क्षेत्र उक्त सारणी के कालम नं. (3) तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	पुलिस थाने का नाम जहां से अपवर्जित किया जाना है.	उस पुलिस थाने का नाम जिसमें शामिल किया जाना है.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना तेलीबांधा तह. व जिला रायपुर.	थाना मंदिरहसौद तह. व जिला रायपुर.	सेरीखेडी	112

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 5-12/खाद्य/2003/29.—राज्य शासन, एतद्द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 68) की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का निम्नानुसार गठन करता है :—

क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1.	मान. मंत्री जी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	अध्यक्ष
2.	मान. राज्यमंत्री जी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	सदस्य सचिव
4.	मान. श्री गुलाब सिंह, विधायक-मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया.	सदस्य
5.	मान. श्री प्रेमसिंह सिदार, विधायक-लैलूंगा, जिला रायगढ़.	सदस्य
6.	मान. श्री मन्तूराम पवार, विधायक-नारायणपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर.	सदस्य
7.	मान. श्री कवासी लखमा, विधायक-कौंटा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा.	सदस्य
8.	मान. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी (रानी मां), विधायक, चन्द्रपुर, जिला जांजगीर-चांपा.	सदस्य
9.	मान. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, विधायक-खेरथा, जिला, दुर्ग.	सदस्य
10.	मान. श्रीमती फूलोदेवी नेताम, विधायक-केशकाल, जिला बस्तर.	सदस्य
11.	मान. श्रीमती श्यामा ध्रुवा विधायक-कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर.	सदस्य
12.	श्री राजकमल सिंघानिया, प्रदेश अध्यक्ष, छ.ग., अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस, मंजूषा, सिविल लाईन, राजभवन के पास, रायपुर.	सदस्य
13.	श्री ई. जे. श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कांग्रेस छ. ग., 15 आदर्श नगर, बोरसी रोड, दुर्ग.	सदस्य
14.	श्रीमती सईदा बेगम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कांग्रेस, छ. ग., क्वा नं. 102/3, रेलवे लोको, कालोनी, काली मंदिर के पास, रायपुर.	सदस्य

(1)	(2)	(3)
15.	श्रीमती प्रीत बावरा, द्वारा श्री मर्नेद्रसिंह बावरा, देवीगंज रोड, अंबिकापुर.	सदस्य
16.	श्रीमती सुनीता सिंह, संस्थापक/अध्यक्ष, पलास महिला कल्याण एवं सेवा संस्थान, शांतिनगर, जगदलपुर.	सदस्य
17.	श्री मुरली अग्रवाल, व्यापारी खरसिया जिला, रायगढ़.	सदस्य
18.	श्री मदन मित्तल, व्यापारी लैलूंगा, जिला, रायगढ़	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

विषय :— वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में संशोधन.

क्रमांक 628/567/नि/चार/2003.—आदेशानुसार वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में विमानन विभाग के अंतर्गत पूर्व के समस्त प्रत्यायोजनों को अधिक्रमति कर संलग्न प्रपत्र अनुसार अधिकारों के प्रत्यायोजनों को पुनरीक्षित किया जाता है.

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

सही/-
(एस. के. चक्रवर्ती)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त एवं योजना विभाग.

AVIATION DEPARTMENT

Financial Powers in respect of the : Directorate of Aviation

S. No. (1)	Description (2)	Authority Competent to Exercise the Power (3)	Extent of Delegation (4)	Condition (5)
1.	To sanction expenditure on liverties, clothing and other articles.	Director of Aviation SE (Aviation).	Full Powers. Up to Rs, 25,000	Subject to Home (General) Department order No. f. 4-92/II-A (3) dated 21-9-92.
2.	Purchase of Aircraft Turbine Fuel/Lubricants and payment of landing/parking charges and hangar rent.	Director of Aviation SE (Aviation).	Full Powers Up to Rs. 5 lakhs.	
3.	To sanction expenditure on pressurisation, weighment and repairs of aircraft and for certificate of airworthiness.	1. Secretary, Aviation 2. Director of Aviation	Full Powers Up to Rs. 5 Lakhs.	
4.	Purchase of spares and articles required for the Aircraft.	1. Secretary, Aviation 2. Director of Aviation 3. SE (Aviation)	Up to Rs. 10 lakhs Up to Rs. 5 lakhs Up to Rs. 10,000.	
5.	Payment of annual insurance premium for crew and passengers covering flight risk.	Director of Aviation	Full Powers.	
6.	To give State Aircraft on hire on rates fixed by the government.	Secretary, Aviation	Full Powers.	Subject to availability of the aircraft,with prior permission of the Chief Minister and in conformity with the D.G.C.A. Regulations.
7.	Hiring of aircrafts for use of VIPs.	1. Secretary, Aviation 2. Director of Avaition	Full Powers. Up to Rs. 6 lakhs.	With prior permission of the Chief Minister when the State aircrafts are not available.
8.	To incur expenditure on endorsement and examination of pilots.	Director of Aviation	Full Powers.	
9.	To take qualified Pilots/ Engineers on hire.	Director of Aviation	Full Powers	Subject to non-availability of State Government Pilots/ Engineers and when a flight is urgent in nature.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Reimbursement of hotel accommodation and taxi charges.	Director of Aviation	Full Powers.	Subject to the general orders of the Government issued from time to time and order nos. 22-3/8/92 dated 2-2-82; and F-923/93/XLV dated 10-2-94.
11.	Powers to sanction travel by higher class of railways than entitlement when a class III employee is independently in charge of safety of high value equipment being carried by the employee.	Director of Aviation	Full Powers.	
12.	Powers to sanction Liveries and Uniform Allowance to Pilots and Engineers at par with Indian Police Services Officers.	Director of Aviation	Full Powers	Subject to the general orders of the Government issued from time to time, including order No. F. 1-11/91/XLV dated 12-9-94.
13.	Power to sanction Aviation Allowance to technical aviation staff (including foremen).	Director of Aviation	Up to Rs. 250 p.m.	As per government order nos. F-1/14/90/XLV dated 20-9-94; and F-1-23/91/XLV dated 12-6-95.
14.	Powers to sanction overtime to technical aviation staff attached for maintenance of aircrafts.	Director of Aviation	Up to Rs. 500 p.m.	As per Government order No. F-1-23/91/XLV dated 25-5-92.
15.	Sanction expenditure for refreshment to VIP's.	Director of Aviation	Full Powers.	Subject to the general orders of the Government issued from time to time including order No. F-9-31/92/XLV dated 5-12-92.
16.	To award scholarship for PPL/CPL under the rules framed by the Government.	Director of Aviation	Full Powers.	Under the recommendation of PPL/CPL Committee constituted vide Government order No. F-4-2/92/XLV dated 9-6-93.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	To sanction reimbursement charges of PPL/CPL Scholarships to the Madhya Pradesh Flying Club Limited.	Director of Aviation	Full Powers.	As per rate fixed by DGCA and approval by State Government vide order No. F-4-6/93/XLV dated 8-2-95.
18.	To sanction grants-in-aid to Flying Club and other institutions.	Secretary, Aviation	Full Powers.	1. A grant of such a nature like which has not been given in the past or a grant proposed to be given for a purpose of which it was not given in the past is not covered by this delegation. 2. Grant should be released in two or more instalments after the utilisation certificate for the previous years' grants have been scrutinized and found satisfactory. 3. Subject to budget provision.
19.	To sanction Telephone bills and Electric charges of Office and Hangar.	Accounts cum Administrative Officer.	Full Powers	Subject to budget provision and general orders of Govt. issued from time to time.
20.	To counter sign TA/Medical bills of all officers and employees.	1. Director of Aviation 2. SE or Dy. CE (Aviation) 3. AAO (Aviation).	Full Powers Full Powers for Class III, technical employee for class III non technical employee.	

Sd/-
(S. K. Chakraborty)
Under Secretary.
Govt. of Chhattisgarh
Deptt. of Finance

Raipur, the 13th August 2003

No. 632/399/F/R/IV/03.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes following amendments in the Treasury Rules Chhattisgarh, namely :—

AMENDMENT

In part I of the said rules,

1. For the existing subsidiary rule 38, the following shall be substituted :—

"The Director of Treasuries or the Joint Director of Treasuries and Accounts on behalf of Director of Treasuries shall personally inspect the District Treasuries at the Divisional Headquarters and the Durg Treasury once a year and other Distt. Treasuries and Sub-treasuries once in 3 years and 6 years, respectively. The inspection shall be directed mainly to matters which are of importance from the general, administrative and financial points of view. Some of the important matters which should be seen during inspection are indicated in Appendix 5. A list of questionnaire for detailed inspection of treasuries and sub-treasuries is contained in appendices 6 and 7. Copies of the inspection reports together with a memorandum showing the action taken thereon shall be forwarded (1) to the Government in the Finance Department in so far as it relates to any points of administrative nature on which Government's orders are required; and (2) to the Accountant General in so far as it relates to any account and financial matters which require his attention."

2. In note 3 below subsidiary rule 39, the words " The rosters prepared by the Commissioners of divisions and" appearing in the line 5 and line 6 are deleted and the words "The roster prepared by" are substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. S. VISHWAKARMA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 1/6/2003/वित्त (सम.)/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. हनुमंत यादव, सलाहकार, राज्य योजना मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का सचिव भी नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-99/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "शहीद भगतसिंह इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "शहीद भगतसिंह इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 19th August 2003

No. F-73-99/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "SHAHEED BHAGAT SINGH INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "SHAHEED BHAGAT SINGH INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-119/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "द स्टेट्स यूनिवर्सिटी, बिलासपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "द स्टेट्स यूनिवर्सिटी, बिलासपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 23rd August 2003

No. F-73/119/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "THE STATES UNIVERSITY, BILASPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Bilaspur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "THE STATES UNIVERSITY, BILASPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-110/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "आर. डी. विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "आर. डी. विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th August 2003

No. F-73-110/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "R. D. UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "R. D. UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-145/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "आई, एम. एम. ग्लोबल, यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "आई. एम. एम. ग्लोबल, यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th August 2003

No. F-73-145/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "I. M. M. GLOBAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "I. M. M. GLOBAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-131/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "शिवमुद्रा, यूनिवर्सिटी, रायपुर (छ. ग.)" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "शिवमुद्रा यूनिवर्सिटी, रायपुर (छ. ग.)" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 10th September 2003

No. F-73-131/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "SHIVMUDRA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "SHIVMUDRA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in f

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-167/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "इन्ड्स वैली यूनिवर्सिटी" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "इन्ड्स वैली यूनिवर्सिटी" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 10th September 2003

No. F-73-167/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "INDUS VALLEY UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "INDUS VALLEY UNIVERSITY", to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-141//2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "मेवार यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "मेवार यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 6th September 2003

No. F-73-141/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "MEWAR UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "MEWAR UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. दांडे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/ सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	उजलपुर प.ह.नं. 36	6.710	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/ सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	पूंजीपथरा तुमीडीह प. ह. नं. 34, 21	98.084 152.194	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक परिक्षेत्र हेतु भू-अर्जन.
			250.278		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 147/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	औरदा	0.267	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 अगस्त 2003

क्रमांक 697/01/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	मुल्लेगुड़ा (हर्राठेमा) प. ह. नं. 11	0.08	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	आदमाबाद-घोठिया-डौंडी मार्ग के कि.मी. 12/10 पर निर्माण धीन सुखा नाला पर सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 अगस्त 2003

क्रमांक 696/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	गोड़पाल प. ह. नं. 11	0.26	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	गोड़पाल-घोठिया-आमाडुला मार्ग के लिए कि.मी. 3/2 पर लिए निर्माणाधीन सुखा नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 1112/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नया बाराद्वार, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	782	0.085
	780/1	0.101
	781	0.028
योग	3	0.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पलाड़ी सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-जगदल्ला प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	136/1	0.008
	137/2	0.041
योग	2	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चाम्पा, कुरदा, कोरबा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 जून 2003

क्र. 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम. 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चांपा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.599 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2361/2	0.182
	2387/6	0.016
	2361/1	0.194
	2362	0.154
	2363/2	0.053
योग	5	0.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चाम्पा रेल्वे बाईपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 अगस्त 2003

क्र. 25/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चांपा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1688/5	0.036
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चाम्पा रेल्वे अन्डर ब्रीज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरिया-बैकुन्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया-बैकुन्ठपुर, दिनांक 15 जून 2003

क्र. 65/भू. अर्जन/2003/रा.-1 सात—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया-बैकुन्ठपुर
- (ख) तहसील-बैकुन्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोदीपारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.430 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.174
9	0.016
10	0.210
11	0.226
45	0.030
44	0.027
46	0.078
113	0.243
170	0.100
114	0.098
116	0.040
119	0.025
126	0.013
129/2	0.016
130/1	0.050
137	0.191
171	0.185
207	0.101
208	0.203
213	0.219
214	0.015
222	0.093
223	0.157
225	0.125
263	0.150
226	0.119
229	0.134
261/1	0.040
261/2	0.120
262/1	0.010
269	0.070
130/2	0.152
कुल योग	3.430

शासकीय भूमि

85	0.079
127	0.211
योग	0.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़गांव माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कोरिया-बैकुन्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया-बैकुन्ठपुर, दिनांक 15 जून 2003

रा. प्र. क्र. 71/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया-बैकुन्ठपुर
- (खं) तहसील-बैकुन्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बस्ती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.582 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	216/5	0.077
	216/6	0.200
		0.063
		0.263
	216/7	0.105
		0.032
		0.137
	284	0.105
योग	4	0.582

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-नरकेली-परचा-बस्ती मार्ग पर झुमका नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर, कोरिया-बैकुन्ठपुर में किया जा सकता है.

कोरिया-बैकुन्ठपुर, दिनांक 15 जून 2003

क्रमांक 73/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1994) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया-बैकुन्ठपुर
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पहाड़ हंसवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.392 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
108	0.112
109	0.048
110	0.135
119	0.050
118	0.054
117	0.063
132	0.130
133	0.033
146	0.073
150	0.072
35	0.036
129	0.029
43	0.044
151	0.108
157	0.126
36	0.022
32	0.075
7	0.208
39	0.208
42	0.096
8	0.140
33/2	0.033
34	0.048

	(1)	(2)
	37	0.034
	31	0.037
	10	0.216
	12	0.084
	13	0.036
	85	0.042
योग	29	2.392

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-गुडरू व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुन्ठपुर, दिनांक 15 जून 2003

क्रमांक 73/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1994) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया-बैकुन्ठपुर
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोड़बंधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	29	0.168
	28	0.036
	27	0.030
	165	0.054
	163	0.222
	164	0.117
	161	0.037
	159	0.060
	155	0.043
	131	0.063
योग	10	0.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-गुडरू व्यपवर्तन योजना के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया-बैकुन्ठपुर, दिनांक 15 जून 2003

क्रमांक 73/भू. अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1994) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया-बैकुन्ठपुर
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-श्रीरामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	167	0.15
योग	1	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-खरला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया-बैकुन्ठपुर, दिनांक 15 जून 2003

क्रमांक 73/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1994) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कछौड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	784	0.18
योग	1	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-कछौड़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जामजोरी, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.461 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.253
4/2	0.104
6/1	0.356
6/4	0.159
6/6	0.465
6/8	0.065
1/2	0.239
1/3	0.217
4/1	0.104
6/3	0.516
6/5	0.301
6/7	0.161
3	0.292
6/2	0.121
18/2	0.213
15/1	0.512
17/1	0.263
15/3	0.040
9/2	0.077
15/6	0.124
9/3	0.081
20/2	0.016
9/4	0.129
15/7	0.154
9/5	0.068
11	0.191
12	0.201
13/1	0.154
13/2	0.362
18/3 क	0.085
19/1 क	0.030
121/1	0.058

(1)	(2)
14/1 क	0.105
16/1	0.136
14/1 ख	0.105
15/4	0.081
14/2	1.619
20/1	0.214
15/5	0.138
17/2	0.344
17/4	0.219
18/1	0.612
18/3 ख	0.085
19/1 ख	0.031
121/2	0.059
18/4	0.315
18/6	0.081
18/8	0.340
18/5	0.318
18/7	0.081
28/2	0.196
19/2	0.081
28/3	0.124
9/1	0.029
16/2	0.136
17/3	0.040
15/2	0.849
20/3	0.012
योग 58	12.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोरझोरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 101/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-हालाहुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.328 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
136	0.012
252	0.016
253	0.012
137	0.020
243	0.101
278	0.025
245/1	0.053
248	0.053
251	0.016
253/495	0.020
योग	0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महका अड़भार मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पुसौर, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
698/1, 705, 711	0.081
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुसौर गोतमा मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 112/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ाबोरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.910 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
62	0.024
61/4	0.053
61/1	0.016
59/4	0.049
59/3	0.012
28/13	0.186
28/9	0.324
28/10	0.243
28/14	0.081
28/7	0.089
28/6	0.089
20/2	0.004
17	0.299
16/2	0.077
15	0.125
1	0.053
146	0.045
145	0.032
148/3	0.016
144/1	0.032
144/2	0.053
156/1	0.036
152	0.004
151	0.012
155/4	0.020
155/5	0.008
155/6	0.008
155/7	0.004
150	0.004
149	0.008
160	0.004
59/4	0.061
28/13	0.089
28/10	0.020
28/14	0.049
28/1	0.101
94	0.040
75/7	0.016
93	0.024
80	0.198
86/11	0.089
92	0.040
90	0.016
89	0.016
87	0.016
86/13	0.008
86/12	0.077
86/9	0.016
86/6	0.024
योग 49	2.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरक एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 114/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-चारपारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.492 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
17/1	0.061
150/1	0.036
17/3	0.105
17/6	0.178
24	0.259
113/3	0.020
115	0.012
116	0.085
117/1	0.129
117/3	0.061
118	0.049
123	0.016
124/3	0.101
125	0.065
126	0.020
127	0.020
128	0.089
149	0.049
152/1	0.024
150/2	0.036
150/3	0.057
151/1	0.020
योग 22	1.492

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 115/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-डुमरभांठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.754 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
77/1	0.113
113, 119/1, 6	0.182
76/3	0.089
76/5	0.101
179	0.004
76/6	0.004
171/9	0.020
156/157	0.121
121	0.016
151	0.069
170/1	0.045
170/2	0.024
170/3	0.040
170/4	0.032
150/6	0.024
171/1	0.097
172	0.130
173	0.061
174	0.081
180/2	0.016
181	0.125
113, 119 | 2	0.138
113, 119 | 3, 4	0.146

(1)	(2)
77/2	0.016
109/1	0.020
171/10	0.040
योग 26	1.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 117/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गोड़बोरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.690 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
228/1, 3	0.170
226, 227	0.036
228/2	0.069
131/3	0.125
250/3	0.049
250/13	0.020
250/16	0.008
250/17	0.057
250/1	0.053
250/6	0.040
250/7	0.008
250/5	0.028
250/20	0.020
249/4	0.020
250/22	0.020
250/23	0.024
249/5	0.020
250/12	0.012
250/2	0.049
258	0.016
259	0.065
260	0.004
67/1	0.012
65/3	0.016
66/1, 2	0.057
61	0.012
107	0.028
100/10, 11	0.065
100/15	0.081
100/1, 6	0.085
105/1	0.049
106/1, 2	0.032
57	0.057
108	0.020
54/5	0.049
54/6	0.081
112/2	0.045
111	0.032
112/3	0.024
112/5	0.024
110/2	0.008
योग 41	1.690

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 118/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-हालाहुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.975 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
171/2	0.016
172/2	0.004
174	0.053
96/3	0.190
96/2	0.073
98	0.101
27/1	0.134
27/2	0.101
97	0.008
69	0.040
66/2	0.065
32	0.061
33/1	0.036
34/3	0.053
34/4	0.040
योग 15	0.975

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 120/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-हालाहुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.331 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
80/3	0.097
82	0.008
83	0.032
78	0.089
76/1, 77/1 } 4	0.097
76/1, 77/1 } 1	0.008
योग 6	0.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 121/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.853 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
485, 484	0.198
479/14	0.105
487/5	0.040
416/1 ख, 416/2 ग	0.206
487/10	0.198
487/1	0.190
487/2	0.004
502/4	0.097
430/1	0.158
408	0.166
430/2	0.133
429	0.142
431	0.008
428	0.142
427/4	0.049
418	0.231
416/2 क	0.089
427/3	0.020
426	0109
417/1	0.049
416/4 ख	0.053
417/2	0.077
416/6	0.214
416/7	0.016
502/5	0.049
507/2	0.057
502/3	0.061
505, 506	0.567
504/2	0.255
504/3	0.125
487/11	0.045
योग 31	3.853

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 122/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-तीउर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
206/3	0.045
205/1	0.057
206/4	0.093
205/2	0.020
204/1	0.154
200/3	0.093
204/2	0.024
174/2	0.061
173/2	0.004
166/1	0.109
174/1	0.097
173/3	0.101
166/3	0.020
165/2	0.073
175/6	0.073
164/1	0.053
165/1	0.028
164/2	0.057
164/4	0.032
164/3	0.028
योग 15	1.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 123/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.966 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
365/3	0.036
371, 370	0.194
372/2	0.077
379/4	0.036
385/6	0.073
373/1	0.223
373/3	0.166
378/2	0.036
379/1	0.155
385/4	0.040
379/3	0.040
385/9	0.073
379/2	0.040
385/7	0.081
380	0.251
385/5	0.008
387	0.194
369	0.081
375	0.162
योग 19	1.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 125/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-अंजोरीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
19	0.036
17/1	0.053
20	0.097
21/1	0.032
18/2	0.057
16	0.004
17/2	0.024
23/1	0.057
56/2	0.024
18/4	0.054
18/3	0.009
18/1	0.036
17/3	0.049
56/3	0.053
23/2	0.016
51	0.032
49	0.133
48	0.061
44/3	0.121
44/1	0.121
46	0.057
92/2	0.121
92/3	0.004
45	0.121

(1)	(2)
95/1	0.028
92/1	0.202
47	0.105
93	0.206
229	0.113
164/2	0.182
164/3	0.178
165/1	0.012
165/2	0.016
167/2	0.223
168/1	0.045
170/309/2	0.073
170/309/1	0.073
169/1	0.113
228/4	0.032
232/2	0.101
234/11	0.287
234/2	0.024
234/7	0.008
234/6	0.061
234/4	0.032
234/1	0.109
245	0.482
246/1	0.008
योग 48	4.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 126/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-महुआपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.946 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
486/1, 487/1	0.069
488/2	0.057
488/3	0.028
488/1	0.061
490/1 491/2	0.223
487/2	0.194
490/3 491/4	0.093
490/4 491/5	0.251
481/1	0.210
482/1	0.170
475/1	0.174
475/2	0.227
450	0.502
451/2	0.142
474	0.146
473	0.170
468, 469	0.105
470	0.105
455	0.016
454/3, 456, 457/2	0.364
452/3	0.032
453	0.364
422/1, 422/2, 420/1, 420/2, 422/4	0.389
452/1	0.008
451/1	0.004
449/1	0.344
435/2, 435/1	0.223
426	0.024

(1)		(2)
	422/7	0.113
	419/1 ख, 419/1 च	0.138
योग	30	4.946

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 127/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गिधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.930 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	4/2	0.146
	8/1	0.045
	4/7	0.817
	7/1	0.214
	4/8	0.320
	7/4	0.198
	3	0.190
योग	7	1.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 128/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-रानीसागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.551 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	82/9	0.004
	67/12	0.073
	69/1	0.162
	65/2	0.045
	65/1	0.040
	64/7	0.134
	67/17	0.040
	69/4	0.053
योग	8	0.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 129/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-कुनकुनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
195/1	0.057
201/1 ख	0.004
195/3	0.073
195/2	0.142
196	0.057
200/2	0.053
201/3	0.036
198	0.093
201/1 क	0.028
224/2	0.299
224/1	0.057
225	0.121
226	0.040
291	0.081
292	0.178
293/1	0.061
290/3	0.057
290/5	0.036
290/2	0.069
290/6	0.053
290/1	0.016
290/7	0.065
282/2	0.032
281/3	0.146
280/1	0.097
280/2	0.125
योग 26	2.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 131/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-गिधा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.679 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
390/2	0.057
391/1	0.032
392/2, 394/2 | 1	0.065
391/2	0.040
270/3, 375	0.032
373/3	0.049
372/1, 374/2	0.049
274	0.389
350	0..040
458, 462	0.061
464, 466	0.243
472/2	0.008
345	0.036
336	0.053
333/1, 335	0.053
331	0.036
330/3	0.024
477	0.028
330/1	0.040
461/1	0.020
460	0.032
476	0.049
461/2	0.057
472/1	0.020

(1)	(2)
473	0.154
329/3	0.012
योग	1.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 132/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-रजघटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
226/1 ज	0.085
226/1 च	0.170
212/2, 213/2	0.077
215	0.061
217	0.053
220	0.032
225/1	0.065
224/1	0.142
271/1	0.040
298/1	0.024
333/1, 334/1	0.105
231/1 ख	0.032
231/1 ग	0.162
258	0.190
257	0.040
256	0.032
263	0.101
265	0.045
302/1	0.036
266	0.028
305	0.089
267	0.032
300	0.125
268	0.020
269/2	0.016
270/1	0.016
281, 290	0.053
270/2	0.016
271/2, 272, 284/1 282, 273	0.182
301	0.142
291	0.016
293	0.012
328	0.251
332/4	0.040
336/3	0.008
333/1, 334/5	0.020
331/1	0.008
292	0.020
297/4	0.081
298/2	0.053
302/2	0.028
336/4	0.004
335/1	0.065
336/2	0.040
335/2	0.097
332/5	0.008
333/3	0.170
योग 47	3.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 133/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-टेमटेमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.525 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
219/1	0.045
423	0.004
217	0.182
222/2	0.040
224	0.069
216	0.020
238/1	0.138
221	0.121
225	0.012
226	0.012
236/2	0.097
237	0.008
235	0.122
433	0.166
234	0.008
431	0.040
434/2	0.016
430	0.316
435	0.040
468	0.020
463	0.049
योग 21	1.525

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 134/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बकेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.110 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
757/4	0.032
563/1, 2	0.032
758	0.113
673/2	0.061
748/9	0.057
736/2	0.065
738	0.065
764	0.049
748/23	0.036
742	0.045
748/16	0.032
748/11	0.024
748/15	0.008
748/2	0.057
765/2	0.061
739/2	0.008
740/3	0.008
162/3	0.073
739/1	0.049
737	0.057
736/1	0.004
730/4	0.020
731	0.069
732/3	0.040
236	0.081

(1)	(2)
719/1	0.053
676/2	0.008
676/6	0.073
676/3	0.089
585/3	0.020
678	0.069
676/4	0.093
676/7	0.040
676/5	0.049
645/2	0.024
583	0.129
563	0.065
562/2	0.053
562/3	0.061
562/5	0.008
562/4	0.049
564/1	0.049
219	0.032
273/2, 273/1	0.219
273/4	0.040
273/6	0.016
741	0.004
223/1	0.045
230/2	0.057
227	0.036
233	0.057
565	0.008
221, 220/3	0.194
228	0.061
162/2	0.040
232	0.105
237	0.057
674/2	0.061
योग 58	3.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 135/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-घघरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
92	0.093
126/5	0.129
93/1	0.097
98	0.057
93/3	0.202
126/3	0.405
126/1	0.053
127/1	0.024
126/6	0.081
127/2	0.053
94	0.214
125	0.304
122/1	0.077
95	0.243
96	0.073
97	0.069
99	0.020
122/2	0.085
योग 18	2.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 136/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-घघरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
101/2	0.012
100	0.032
121/1, 121/4	0.178
105	0.008
108/1	0.057
121/2, 121/5	0.012
121/3	0.028
104	0.093
103	0.085
84/2, 4	0.020
84/3	0.125
योग 11	0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 124अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-खरसिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.706 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
232/1 क	0.069
232/7	0.028
232/3	0.061
204/3	0.085
203/8	0.053
210	0.109
232/6, 234/2	0.069
216	0.235
219/12/2	0.020
232/10	0.073
207/2	0.250
208/1	0.069
208/2	0.040
207/1	0.081
211/1	0.077
212/2	0.061
219/12/1	0.045
219/37	0.069
215/2	0.117
219/17	0.045
220/12	0.069
220/19	0.065

(1)	(2)
215/3	0.012
220/13	0.024
219/19	0.012
219/36	0.053
219/18	0.121
218/1	0.020
219/13	0.093
219/16	0.045
220/3	0.274
220/21	0.125
220/15	0.089
220/1	0.081
365/1	0.134
362/7	0.158
364	0.093
362/9	0.142
362/4	0.061
356/3	0.061
356/16	0.089
361/7	0.045
361/6	0.004
356/12	0.170
356/15	0.020
357	0.688
360/6	0.012
362/5	0.069
358/10	0.263
358/12	0.263
491/2	0.117
358/4, 359/4	0.121
492/2	0.073
358/28	0.121
358/14, 358/31	0.174
358/19	0.162
492/1 क	0.004
492/4, 492/6	0.239
492/1 ग	0.190
326/4	0.336
326/3	0.158
योग 61	6.706

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 74/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-करपीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
161/1	0.020
योग 1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भैनापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367/9	0.061
योग 1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तिउर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
464/2	0.045
योग 1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आड़ाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/4	0.121
योग 1	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे डुमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
171/1	0.028
359	0.065
योग 2	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 70/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सूती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238, 240 — 4	0.065
योग 1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 76/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बसनाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.348 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/1	0.061
560/2	0.113
538	0.174
योग 3	0.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 12 मई 2003

क्रमांक 959/प्र. कले./2003.—म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17-ई-40/99/2 (ब) दो भोपाल, दिनांक 8-4-99 में दिये गये निर्देशों के तहत धर्म, कर्म कराने वाले पास्टर एडीसन सागर आ. सुरेन्द्र सागर, क्रिश्चियन चर्च पैराडाईज काम्पलेक्स बोरसी भाठा दुर्ग को विवाह अनुष्ठापित कराने और भारतीय क्रिश्चियन (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु दुर्ग जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 8103/प्र. कले./2003.—म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17-ई-40/99/2 (ब) दो भोपाल, दिनांक 8-4-99 में दिये गये निर्देशों के तहत धर्म, कर्म कराने वाले पास्टर रेव्ह श्री पी. स्टेनली जान्स, पेन्टीकास्टल चर्च आफ गाड पोस्ट सुपेला को विवाह अनुष्ठापित कराने और भारतीय क्रिश्चियन (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु जिला दुर्ग के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 16 जुलाई 2003

क्रमांक 977/प्र. कले./2003.—म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17-ई-40/99/2 (ब) दो भोपाल, दिनांक 8-4-99 में दिये गये निर्देशों के तहत धर्म, कर्म कराने वाले पास्टर पी. सी. थामस इन्डियन पेन्टिकास्टल चर्च आफ गाड बैथल होम गांधी नगर को विवाह अनुष्ठापित कराने और भारतीय क्रिश्चियन (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु जिला दुर्ग के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता है.

आई. सी. पी. केशरी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्रमांक 11544/खनि/2003.—म. प्र. गौण खनिज नियम-1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	खसरा नं. (5)	रकबा (6)	खनिज (7)	भूमि का विवरण (8)
1.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	तरौद	2109/1 2112	2.45	चूना पत्थर	शासकीय भूमि
2.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	तरौद	2112	4.90	चूना पत्थर	शासकीय भूमि

मनोज कुमार पिंगुआ,
कलेक्टर.